राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1443/2025

श्रीराम जाट

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग,
जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.आर. चौधरी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मु. सादरसर, सहा.निदे.कृषि (वि.) झोटवाड़ा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मु. केलवाड़ा, उप निदे. उद्यान, राजसमंद में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी स्थायी रूप से निशक्त व्यक्ति है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी सेना में कार्यरत था। उसे स्थायी रूप से निशक्त होने के कारण सेवा से मुक्त किया गया। अपीलार्थी का पूर्व में भी स्थानांतरण किया गया था, जिसे अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1153/2024 में चुनौती दी थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 21.03.2024 पारित किया गया था, जिसमें आलोच्य आदेश को स्थगित रखा गया था। वर्तमान में अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण किया गया है, जो

गलत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के पूर्व के स्थानांतरण के संबंध में इस अधिकरण द्वारा जो स्थगन आदेश दिनांक 21.03.2024 पारित किया गया था, उसमें प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी का नये सिरे से नियमानुसार स्थानांतरण करने के लिए छूट प्रदान की गई थी। अपीलार्थी की निशक्तता सुनाई कम देने की निशक्तता है, जिसे सेना के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सेवा के लिए उचित नहीं माना। अपीलार्थी के निशक्त होने के आधार पर स्थानांतरण आदेश को अवैध होना नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। व्यक्तिगत समस्याओं के अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है। ऐसे में हम इस स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी निशक्तता एवं अन्य कठिनाईयों के संबंध में उल्लेख करते हुए अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करेगा, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहानुभूतिपूर्वक 30 दिवस में किया जायें।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)